न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी :– करतारसिंह पूनियॉ आर.ए.एस.

अपील संख्या 2023/37 (37/2023) 223 आरटीएक्ट

रामस्वरूप पुत्र पतराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

– अपीलान्ट

बनाम

1. मु0 गोरादेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी भरोखां तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. भूरी देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी भरोखां तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. पतराम पुत्र सुरजाराम (फौत प्रति0 सं0 1)

   3/1 पिरथी
   3/2 सोहनलाल
   3/3 मदनलाल
   3/4 हरदयाल
   3/5 रोहताश

   } पुत्रान पतराम जाति जाट साकिन चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

   3/6 राममूर्ति पुत्री पतराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील व जिला सिरसा हाल एलनाबाद।

– रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2005

द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्रकरण संख्या 40/2004

अनवान मु0 गोरा आदि बनाम पतराम आदि

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट

श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3/1 से 3/6

निर्णय दिनांक – 20.7.23

1. इस प्रकरण में तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 वादीगन ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का प्रतिवादी सं0 1 पतराम के विरूद्ध पेश किया, जिमसें कथन किया कि वादीगण के पिता सुरजा राम पुत्र बस्ती राम जाति जाट निवासी चिलकनी के नाम से चक नं. 14 केएनएन में 6.199 है0 भूमि पुख्ता आवंटनशुदा तथा रोही ननाउ के खसरा नं. 240 की 30 बीघा जो हाल परिवर्तन खसरा नं. 605 की 21 बीघा 607 की 9 बीघा कुल 30 बीघा खातेदारी भूमि स्थित है। उपरोक्त भूमि वादीगण के पिता की पुरानी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि है। मुताबिक सजरा खानदान जो वाद के साथ पेश किया जा रहाहै उसका वाद का जुज माना जावे। प्रतिवादी जो कि एक मनचला व्यक्ति है वादी के पिता के फौत हो जाने के बाद छलपूर्वक वादीगण को मरा हुआ बताकर प्रतिवादीगण ने उपरोक्त भूमि का इन्द्राज अपने नाम से दर्ज करवा लिया है, जबकि वादीगण सुरजाराम की जायज हकदार पुत्रीयां हैं उसका उसकी सम्पति में सुरजाराम के फौत हो जाने के बाद वादीगण दोनों का 2/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी नं. 1 का 1/3 हिस्सा है। वादी ने वाद डिक्री करने की इस्तदुआ मांगी। प्रतिवादी ने इकबालदावा पेश किया। विचारण न्यायालय ने वाद वादी डिक्री किया जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि वर्णित भूमि में से चक 3 बारानी की 15 बीघा भूमि स्व0 पतराम की आवंटनशुदा भूमि थी आवंटन का नोट सनद् सं0 7484 दिनांक 19.04.1977 पर कालम नं0 8 में स्पष्ट है कि आवंटन दिनांक 13.09.1962 को स्व0 पतराम को किमतन हुआ है परन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष गलत तथ्य प्रस्तुत कर प्रतिवादी सं0 1 पतराम की उक्त चक की भूमि में गलत रूप से वादीगण ने उद्घोषणा प्राप्त कर ली जो निरस्त योग्य है। उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 3/1 से 3/6 व अपीलाण्ट के पूर्वज स्व0 पतराम की स्व0 अर्जित भूमि होने से उसमें स्व0 पतराम के जीवनकाल में अथवा मृत्यु उपरान्त भी उसके वारिसान मौजूद होने से रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2 वादीगण का कोई स्वत्व हासिल नहीं हो सकता था। लेकिन रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने चक 3 बारानी की भूमि में भी अपना 1/3 हिस्सा की उद्घोषणा भी प्राप्त कर ली। जबकि कानूनन रेस्पोडण्ट को उक्त वर्णित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं था। चक 3 बारानी तहसील नोहर की प0 नं0 317/361 (380) की 3.7980 है0 भूमि पर जिसमें वर्तमान जमाबंदी में रेस्पो0 सं0 1 मा 1/3 हिस्सा रेस्पो0 सं0 2 का 1/3 हिस्सा व अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 3/1 से 3/6 प्रत्येक 1/7 से 1/7 हिस्सा दर्ज है पर सम्पूर्ण भूमि पर अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट सं0 3/1 से 3/5 ही काबिज है। रेस्पो0 सं0 1, 2 ने अपीलाण्ट व रेस्पो0 सं0 3/1 से 3/5 को यह कह रक्खा था कि इस भूमि में हमारा कोई हक हिस्सा नहीं होने के कारण वे हक लेना नहीं चाहती है इसलिए अपीलाण्ट व रेस्पोडण्ट सं0 3/1 से 3/5 को भूमि अपने नाम दर्ज करवाने हेतु पूर्णतः सहमत होने पर उन्हें दावा कर भूमि अपने नाम लगवा लेने का कहा जिस पर अपीलाण्ट व उसके भाईयों के द्वारा दावा विधिक राय अनुसार उपखण्डाधिकारी नोहर के यहां प्रस्तुत किया जिसमें भूरी रेस्पो0 सं0 2 ने जवाब दावा प्रस्तुत कर दावा खारिजी का कथन किया तब पुनः ईष्ट

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

मित्रों ने पक्षकारान के मध्य राजीनामा का प्रयास किया परन्तु 31.01.2023 को राजीनामा सम्बन्धी वार्ता विफल रही जिस पर अपीलाण्ट ने अन्य अधिवक्ता से राय करने पर पुराने कागजात एवं भूमि रेस्पो0 सं0 1 के नाम कैसे दर्ज हुई के अभिलेख की तलाश करने पर अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर पुराने कागजात तलाश कर अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की विधिक राय अधिवक्ता से प्राप्त करने पर यह अपील पेश की है। अपील ज्ञान से अंदर मियाद है। अपीलाधीन निणय एवं डिक्री से अपीलाण्ट एक प्रभावित पक्षकार है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त की जावे। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरआरटी 2017 (2) पेज 907, आरआरडी 1994 पेज 596, के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने क्रॉस आब्जेक्शन में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपीलाण्ट की बहस का समर्थन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को चक 3 बारानी के प0 नं0 317/361 मु0 नं0 380 किला नं0 11 ता 25 की 15 बीघा की हद तक निरस्त करने का कथन किया।
5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
6. अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र सशपथ होने एवं अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयस्कर होने के कारण प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।
7. जहां तक गुणावगुण का प्रश्न है वर्णित भूमि में से चक 3 बारानी की 15 बीघा भूमि स्व0 पतराम की आवंटनशुदा भूमि थी आवंटन का नोट सनद् सं0 7484 दिनांक 19.04.1977 पर कालम ने0 8 में स्पष्ट है कि आवंटन दिनांक 13.09.1962 को स्व0 पतराम को किमतन हुआ है, परन्तु विचारण न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

ने प्रतिवादी सं0 1 पतराम की उक्त चक की भूमि में गलत रूप से वादीगण के नाम उद्घोषणा कर दी है। उक्त भूमि रेस्पोडेण्ट सं0 3/1 से 3/6 व अपीलाण्ट के पूर्वज स्व0 पतराम की स्व0 अर्जित भूमि होने से उसमें स्व0 पतराम के जीवनकाल में अथवा मृत्यु उपरान्त भी उसके वारिसान मौजूद होने से रेस्पोडेण्ट सं0 1, 2 वादीगण का कोई स्वत्व हासिल नहीं हो सकता था। लेकिन रेस्पोडेण्ट सं0 1 व 2 ने चक 3 बारानी की भूमि में भी अपना 1/3 हिस्सा की उद्घोषणा भी प्राप्त कर ली। जबकि कानूनन रेस्पोडण्ेट को उक्त वर्णित भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं था। रेस्पोडेण्ट सं0 3/1 से 3/6 ने भी अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री निरस्त करने का निवेदन किया है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने योग्य है।

8. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2005 को चक 3 बारानी के प0 नं0 317/361 मु0 नं0 380 किला नं. 11 ता 25 की 15 बीघा की हद तक निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की दिनांक 28.05.2005 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.7.23 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

20/7/23

(करतार सिह पूनियॉ)

राजस्व अपील प्राधिकारी

राजस्व अपील अधिकारी

हनुमानगढ़

हनुमानगढ

डिक्री व सीगे अपील

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

बइजलास करतार सिंह पूनियॉ आर0ए0एस0

अपील संख्या 2023/37 (37/2023) 223 आरटीएक्ट

रामस्वरूप पुत्र पतराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा) — अपीलान्ट

बनाम

1. मु0 गोरादेवी पुत्री सुरजाराम पत्नी रामजीलाल जाति जाट निवासी भरोखां तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
2. भूरी देवी पुत्री सुरजाराम पत्नी गोपीराम जाति जाट निवासी भरोखां तहसील व जिला सिरसा (हरियाणा)
3. पतराम पुत्र सुरजाराम (फौत प्रति0 सं0 1)

3/1 पिरथी
3/2 सोहनलाल
3/3 मदनलाल
3/4 हरदयाल
3/5 रोहताश
} पुत्रान पतराम जाति जाट साकिन चिलकनी तहसील ऐलनाबाद जिला सिरसा (हरियाणा)

3/6 राममूर्ति पुत्री पतराम जाति जाट निवासी चिलकनी तहसील व जिला सिरसा हाल एलनाबाद। — रेस्पोडैन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटीएक्ट

विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2005 द्वारा उपखण्ड अधिकारी, नोहर

प्रकरण संख्या 40/2004 अनवान मु0 गोरा आदि बनाम पतराम आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री विजय कौशिक अधिवक्ता अपीलाण्ट श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 3/1 से 3/6 की बहस समायत की जाकर अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 28.05.2005 को चक3बारानी के प0 नं0 317/361 मु0 नं0 380 किला नं. 11 ता 25 की 15 बीघा की हद तक निरस्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय के शेष अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री यथावत रखा जाता है। उपरोक्त वादग्रस्त भूमि की दिनांक 28.05.2005 से पूर्व की स्थिति बहाल की जावे।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 20.7.23 को जारी की गई।

20/7/23

(करतार सिंह पूनियां) आर.ए.एस.

राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ

राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़